FORM No III

फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देसूरी जिला–पाली(राज.)

वादी	**प्रतिवादीगण**
कैलाश पुत्र भंवरलाल जाति ब्राहम्ण, निवासी काना तह. देसूरी	राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार, देसूरी वगैरा

मुकदमा नंबर राजस्व वाद संख्या 15/2006
वाद अंतर्गत धारा 88, 91, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

न्याय आपके द्वार शिविर दुदापुरा 20.05.2017

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
20.05.2017	पत्रावली शिविर मे प्रस्तुत हुई। पत्रावली मे उपलब्ध रेकर्ड का अवलोकन किया गया। वादी द्वारा राजकी सिवाय चक भूमि मौजा ग्राम काण के खसरा नंबर 189, 190, 191 कुल रकबा 2.75 हैवी के खातेदारी घोषणा हेतु यह वाद विरूद्व सरकार एवं अन्य के लिये प्रस्तुत किया गया है। चूंकि वादी द्वारा राजकीय भूमि की खातेदारी घोषण के लिये यह वाद प्रस्तुत किया गया है। राजकीय भूमि की खातेदारी की घोषण के प्रात्निपप के लिये वह आसामी ही वाद ला सकता है जिसका कब्जा वादग्रस्त भूमि पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागु होने से पूर्व अभिलेखीय साक्ष्य यथा संवत् 2012 सो पूर्व के राजस्व रेकर्ड मे दर्ज हो तथा धारा 15 के अंतर्गत खातेदारी अधिकार प्राप्त करने से वंछित रहा हो तक ही राजकीय भूमि के खातेदारी अर्जन के लिये राज्य सरकार के विरूद्व वाद प्रस्तुत कर अनुतोश प्राप्त कर सकता है। प्रस्तुत वाद एवं अभिलेखीय साक्ष्यो के अवलोकन से वादग्रस्त भूमि पर वादी का एवं उसके पूर्वजो का अभिलेखीय कब्जा संवत् 2021 से ही होना जाहिर है। ऐसी स्थिति मे वादी कृषि भूमि आवंटन नियम 1970 के अंतर्गत वादग्रस्त भूमि के आवंटन नियमन हेतु अनुतोष प्राप्त करने के लिये स्वतंत्र है। प्रस्तुत वाद के माध्यम से वादग्रस्त राजकीय भूमि जिसमे ख.न. 189 गे.मु. रास्ता की भूमि सम्मिलित है। खातेदारी अधिकार प्राप्त कराने का अधिकारी किसी भी स्थिति मे नही है। अतः वाद वादी खारिज किया जाता है। निर्णय सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। उपखण्ड अधिकारी देसूरी(पाली)	